GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE (EXCISE) DEPARTMENT

No.: F.4(1)FD/Ex/2017-Part-I   Jaipur, Dated: 1st April, 2017

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 41 of the Rajasthan Excise Act, 1950 (Act No. II of 1950), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Excise Rules, 1956 and orders with reference to the proviso to sub-section (3) of the said section that the previous publication of these amendment rules is dispensed with as the State Government considers that they should be brought into force at once, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Excise (Second Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force at once.

2. Amendment of rule 67-I.– After the existing sub-rule (3) of rule 67-I of the Rajasthan Excise Rules, 1956, hereinafter referred to as the said rules, the following new sub-rule (4) shall be added, namely:-

"(4) The licensees of retail shops of country liquor situated in rural area, Municipal area of Fourth Category Municipalities except the area of Sagwara Municipality and within the radius of five kilometres from all categories of Municipal areas shall pay composite fees as determined by the State Government, from time to time and such licensees may sell Foreign Liquor and Beer on country liquor shops."

3. Amendment of rule 68.- In the table of rule 68 of the said rules, the existing serial number 13 and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

"13.	Licence for wholesale vend by manufacturers of Indian Made foreign Liquor/Beer to wholesale vendors	One year	8,00,000/- "

4. Amendment of rule 69.– In rule 69 of the said rules,-

(i) in clause (A) of sub-rule (1), for the existing expression "price", the expression "price including the amount of custom duty, import fee, Central Sales Tax (CST) and any other fee payable" shall be substituted;

(ii) in clause (C) of sub-rule (1), the existing expression "incremental overheads" shall be deleted;

(iii) in sub-rule (1), the existing note shall be deleted; and

(iv) in table of clause (a) of sub-rule (2), the existing serial number 2 and 3 and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

"2	IMFL	5.00	5.00
3	Beer	3.00	4.00 "

5. Amendment of rule 69 AA.– The existing table of rule 69 AA of the said rules shall be substituted by the following, namely:-

"

S. No.	Category of shop situated in Municipal Area	Prescribed fee for the year 2017-18 (Rs. in Lac)		
		Basic licence fees	Minimum special Vend fees	Total of (Col. No. 3 +4)
1	2	3	4	5
1.	Jaipur and Jodhpur	17.00	8.00	25.00
2.	Other divisional headquarters, including Mount Abu and Jaisalmer	13.50	6.50	20.00
3.	Alwar, Sikar, Bhilwara, Pali and Sriganganagar District head quarters	10.00	5.00	15.00
4.	Other district head quarters	8.80	4.20	13.00
5.	Other Municipal headquarters, including Sagwara (excluding other fourth category Municipalities)	8.00	3.50	11.50

"

6. Amendment of rule 69 B.– In the table of rule 69-B of the said rules, the existing serial numbers 3, 4, 5 and 6 and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

"

3.	Rectified spirit for manufacture of country liquor	3.00	2.00	0.00
4.	Extra neutral alcohol, high bouquet spirit and like spirits / alcohols for liquor manufacture	5.00	2.00	0.00
5.	Rectified spirit for other purposes	15.00	2.00	2.50
6.	Extra neutral alcohol, high bouquet spirit and like spirits / alcohols for other purposes.	6.00	2.00	2.50

"

By order of the Governor,

01/2017-18

(Hardyesh Kumar Juneja)
Jt. Secretary to the Government

Copy forwarded to the following for information & necessary action:

1. Superintendent, Government Central Press, Jaipur for publication of this notification in part 4(c) Part II of extraordinary Gazette. 15 copies of the Gazette may please be sent to Excise Commissioner, Rajasthan, Udaipur with the bill and 5 copies of Gazette may please be sent to this department.
2. Accountant General, Rajasthan, Jaipur.
3. Commissioner, Excise Department, Rajasthan, Udaipur.
4. PS to Principal Secretary, Finance Department.
5. PS to Secretary, Finance (Revenue) Department.
6. Additional Director, Computer Cell, Finance Department, Secretariat, Jaipur.
7. Guard file.

Joint Secretary to the Government

राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी)विभाग

सं.प.4(1)वित्त/आब/2017–पार्ट–1 दिनांक : 01 अप्रैल, 2017

अधिसूचना

राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (1950 का अधिनियम सं 2) की धारा 41 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान आबकारी नियम, 1956 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है और उक्त धारा की उप–धारा (3) के परन्तुक के प्रति निर्देश से आदेश देती है कि इन संशोधन नियमों को पूर्व प्रकाशन से अभिमुक्त किया जाता है क्योंकि राज्य सरकार का यह विचार है कि इन्हें तुरन्त प्रवृत्त किया जाना चाहिए, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान आबकारी (द्वितीय संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 67–झ का संशोधन.– राजस्थान आबकारी नियम, 1956, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 67–झ के विद्यमान उप–नियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उप–नियम (4) जोड़ा जायेगा, अर्थात्:–

> "(4) ग्रामीण क्षेत्र, सागवाड़ा नगरपालिका के क्षेत्र को छोड़कर चतुर्थ प्रवर्ग के नगरपालिक क्षेत्र में और नगरपालिक क्षेत्रों के समस्त प्रवर्गों से पांच किलोमीटर की परिधि के भीतर अवस्थित देशी शराब की खुदरा दुकानों के अनुज्ञप्तिधारी, समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा अवधारित संयुक्त फीस का संदाय करेंगे और ऐसे अनुज्ञप्तिधारी देशी शराब की दुकानों पर विदेशी शराब और बीयर का विक्रय कर सकेंगें। "

3. नियम 68 का संशोधन.– उक्त नियमों के नियम 68 की सारणी में, विद्यमान क्रम संख्यांक 13 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

"13. भारत निर्मित विदेशी शराब/बीयर के विनिर्माताओं द्वारा थोक विक्रेताओं को थोक विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति	एक वर्ष	8,00,000/– "

4. नियम 69 का संशोधन.– उक्त नियमों के नियम 69 में,–

(i) उप–नियम (1) के खण्ड (क) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "कीमत" के स्थान पर अभिव्यक्ति "सीमा शुल्क, निर्यात फीस,केन्द्रीय विक्रय कर (के.वि.क.) और किसी अन्य संदेय फीस की रकम को सम्मिलित करते हुए कीमत" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) उप–नियम (1) के खण्ड (ग) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "इन्क्रीमेन्टल ओवरहेड्स" हटायी जायेगी;

(iii) उप–नियम (1) में, विद्यमान टिप्पण हटाया जायेगा; और

(iv) उप–नियम (2) के खण्ड (क) की सारणी में, विद्यमान क्रम संख्यांक 2 और 3 और उनकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

"2	भा.नि.वि.श.	5.00	5.00
3	बीयर	3.00	4.00 "

5. नियम 69कक का संशोधन.– उक्त नियमों के नियम 69कक की विद्यमान सारणी के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

२

"

क्र. सं.	नगरपालिक क्षेत्र में अवस्थित दुकान का प्रवर्ग	वर्ष 2017–18 के लिए विहित फीस (रु. लाख में)		
		मूल अनुज्ञप्ति फीस	न्यूनतम विशेष विक्रय फीस	(स्तम्भ सं. 3+4) का योग
1	2	3	4	5
1.	जयपुर और जोधपुर	17.00	8.00	25.00
2.	माउंट आबू और जैसलमेर को सम्मिलित करते हुए अन्य खण्ड मुख्यालय	13.50	6.50	20.00
3.	अलवर, सीकर, भीलवाड़ा, पाली और श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय	10.00	5.00	15.00
4.	अन्य जिला मुख्यालय	8.80	4.20	13.00
5.	सागवाड़ा को सम्मिलित करते हुए अन्य नगरपालिक मुख्यालय (अन्य चतुर्थ प्रवर्ग नगरपालिकाओं को छोड़कर)	8.00	3.50	11.50

"

6. नियम 69 ख का संशोधन.– उक्त नियमों के नियम 69 ख की सारणी में, विद्यमान क्रम संख्यांक 3,4,5 और 6 और उनकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

" 3.	देशी शराब के विनिर्माण के लिए परिशोधित स्प्रिट	3.00	2.00	0.00
4.	अतिरिक्त न्यूट्रल एल्कोहल हाईबोक्वेट स्प्रिट और समान स्प्रिट/शराब विनिर्माण के लिए एल्कोहल	5.00	2.00	0.00
5.	अन्य प्रयोजनों के लिए परिशोधित स्प्रिट	15.00	2.00	2.50
6.	अतिरिक्त न्यूट्रल एल्कोहल हाईबोक्वेट स्प्रिट और समान स्प्रिट/अन्य प्रयोजनों के लिए एल्कोहल	6.00	2.00	2.50 "

राज्यपाल के आदेश से,

01/2017–18

(हृदयेश कुमार जुनेजा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को असाधारण राजपत्र भाग 4 (ग) में प्रकाशनार्थ। कृपया इसकी 05 प्रतियां इस विभाग को तथा 15 प्रतियां आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर को मय बिल भिजवाने की व्यवस्था करावें।
2. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
3. आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, जयपुर।
6. अतिरिक्त निदेशक, कम्प्यूटर शाखा, वित्त विभाग, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव